न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024 / 129

1. कृष्ण उर्फ कालू पुत्र श्री कंवर सिंह, निवासी सूरावास, तहसील तिजारा, जिला अलवर (राजस्थान)। —अपीलांट्स।

बनाम

1. शिविर प्रभारी, उपखण्ड अधिकारी, तिजारा, तहसील तिजारा जिला अलवर।
2. तहसीलदार, तहसील तिजारा, जिला अलवर ।
3. बाबूलाल पुत्र श्री सूरजभान
4. रामपाल पुत्र श्री सूरजभान
5. हरिश कुमार पुत्र श्री कंवर सिंह समस्त निवासीयान सूरावास, तहसील तिजारा, जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.11.2021, क्रमांक / 2021 / 503 (प्रशासन गांव के संग अभियान, 2021 शिविर ग्राम पंचायत भिण्डूसी) शिविर प्रभारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा, जिला अलवर ने खसरा नंबर 29 रकबा 0.59 हैक्टेयर, ग्राम सूरावास, तहसील तिजारा, जिला अलवर में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये, के विरूद्ध ।

उपस्थित—
1. श्री कृष्ण कुमार पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री आसिफ खान वकील रेस्पो0 3 से 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—02.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल—तिजारा के निर्णय दिनांक 22.11.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा—5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी. सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि यह कि वाके ग्राम सूरावास तहसील तिजारा जिला खैरथल—तिजारा स्थित आराजी खसरा नंबर 29 रकबा 0.59 हैक्टेयर भूमि के संबंध में तहसीलदार तिजारा द्वारा प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल—तिजारा द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश क्रमांक / 2021 / 503 दिनांक 22.11.2021 को दिये गये

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा के उक्त निर्णय दिनांक 22.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी तिजारा दिनांक 22.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम सूराबास तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा स्थित आराजी खसरा नंबर 29 रकबा 0.59 हैक्टेयर के अपीलांट्स काबिज रिकाड्रेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट खादारान को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मौके की जांच पडताल किए बिना अपीलाधीन आदेश दिया गया है जबकि कानूनन विकल्प के रूप में अन्य रास्ता भी मौजूद था, बावजूद रास्ते के संबंध में जांच किए बिना आदेश पारित कर दिया है, जो सरसरी तौर पर ही निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने भू अभिलेख नियम, 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 का दुरूपयोग करते हुये तथा अपनी शक्तियों का नाजायज रूप से प्रयोग करते हुये मनमाने रूप से रास्ता कायम कर दिया जो निरस्त किए जाने योग्य है यह कि उपरोक्त खसरा नंबर में पूर्व में कोई रास्ता मौजूद नहीं था, बल्कि विवादित खसरा नंबर पर खेती की जा रही थी । रास्ता के संबंध में कानून का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी व्यक्ति की खातेदारी भूमि में से यदि कोई नया रास्ता कायम किया जाता है तो उसकी सहमति लिया जाना आवश्यक है तथा उसके संबंध में हल्का पटवारी व गिरदावर से मौका रिपोर्ट भी लिया जाना आवश्यक है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने मात्र दो दिन में समस्त कार्यवाहियां पूर्ण करते हुये गैर मुमकिन रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये, जबकि कानूनन अपीलांट की सहमति तथा उसको सूचना/नोटिस दिया जाना मेन्टेडरी प्रावधान है, परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा नहीं की गयी है। प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कतई कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, तथा न ही विधिक प्रक्रिया का ही कोई पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ खातेदारों को, अनुचित, अवैध लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नया रास्ता मौके पर चालू करने के उद्देश्य से आज्ञा प्रसारित की है। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है न मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस ही दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा 22.11.2021 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार तिजारा के रास्ता प्रस्ताव के आधार पर ही मौके पर प्रचलित सार्वजनिक रास्ते का पटवारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से नकल दिनांक 22.12.2023 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम सुरावास तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा स्थित आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 29 रकबा 0.59 हैक्टेयर भूमि के संबंध में तहसीलदार तिजारा द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उपरोक्त आराजीयात के अपीलांट काबिज रिकार्ड्रेड खातेदार है इनको अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो नोटिस ही दिया और ना ही किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर दिया गया ना ही खातेदार द्वारा रास्ते हेतु कोई किसी प्रकार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

<u>**अतः आदेश है कि**</u>: अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा का क्रमांक/2021/503 निर्णय दिनांक 22.11.2021 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।